मुकाम

महावीर .... बनाम ...मंगलराम.........

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र विभाजन .... नं० ...57/2021................ सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20.9.21 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उप० अप्रार्थी 1, 2, 6, 8, 9 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली किया। साथ ही प्रा० पत्र नाम इन्द्राज अप्रार्थी 3 पेश किया, वास्ते जवाब व शेष अप्रार्थीगण दिनांक 27.9.21 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	मंगल राम शर्मा ओमप्रकाश शर्मा देवी सहाय शर्मा कमलेश शर्मा 6, 8, 9, 2 स्वी०
	27.9.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उप० अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रा० पत्र स्वीकारात्मक पेश किया शामिल पत्रावली किया गया बहस पक्षकार वकील सुनी गई प्रार्थी प्रा० पत्र अप्रार्थी 3 नाम इन्द्राज किये जाने का वकील पक्षकार सहमती से स्वीकार किया जाकर नाम इन्द्राज किया जाता है प्रार्थी गण प्रा० पत्र द्वारा ग्राम ... स्थित भूमि खाता तहसील ... जिला ... किता ... हे० नम्बर 16 प्रदान 1 ... 2 रकबा 1.98 हे० ... के नाम ... दर्ज राजस्व रिकार्ड ... ... मृत्यु हो चुकी है। पिता ... की मृत्यु ... खाता हे० नम्बर 14 प्रदान 13 के 2 ...	उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 09:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

132, 166 से 170, 185 से 188, 23 से 27
29, 40 से 44, 55 से 58, 60 किता 26 रकबा
7.50 हे० अप्रार्थी 1 लगा 5, 8 लगा 11, 5 लगा 7
के पिता के नाम दर्ज है। दुर्गालाल की
मृत्यु हो चुकी है। जिसके कानूनी वारिसान
अप्रार्थी 5 लगा 7 बताये गये। प्रार्थीगण 1, 2
के पिता एवं 3 के दादा रामदेव पुत्र रामसहाय
तथा अप्रार्थी नं. 1, 2 के पिता एवं 3 के
दादा तथा 4 के ससुर एवं 5 लगा 7 के दादा
बद्री पुत्र हरवक्स तथा ... के भाई ... ने
आपसी में अपनी-अपनी भूमियों की
अदला-बदली (विनिमय) सन 1980 में
पंजीकृत करवाया है दस्तावेज कार्यालय के
पंजीकृत विनिमय पत्र दिनांक 14.6.1980
के अनुसार आपसी ... स्थिति से
प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख०नं० 189, 191 कुल
किता 2 रकबा 1-08 हे० ग्राम ... को
अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा
अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं०
169/0.04 हे०, 170/1-08 हे० को प्रार्थीगण के नाम दर्ज
किया जावे।

हमने प्रार्थी / अप्रार्थीगण ...
मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र ... प्रार्थी
अप्रार्थीगण [illegible] ... पंजीकृत
विनिमय पत्र [illegible] ...
किया अप्रार्थीगण [illegible] ... प्रार्थी
... में प्रार्थना पत्र [illegible] ... तहसील
प्रकार की ... (विनिमय)
पंजीकृत 1980 के द्वारा ... के पूर्णतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 00:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ने भूमि अदला-बदली करली और उसके अनुसार मौके पर काबिज काश्त है वक्त्कार पूर्व की एक्सचेन्ज डीड पर सहमति प्रस्तुत की है और आज भी सहमत है उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 49 लगायत 52 राज० काश्तकारी अधिनियम (एक्सचेन्ज ऑफ होल्डिंग) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि,

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49 लग० 52 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (एक्सचेंज ऑफ होल्डिंग) स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बमिया प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख.नं० 189, 190 ग्राम हरनावदा तहसील बमिया को प्रार्थीगण खातेदारी भूमि से हटाया जाकर अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि से हटाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं० 169, 170 ग्राम हरनावदा तहसील बमिया को अप्रार्थीगण खातेदारी से हटाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार बमिया उपरोक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार बमिया को लिखा जाता है। पत्रावली बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर मांगरोल
जिला–बारां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 00:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner